

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-67/2019-20

छोटानागापुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

परीक्षित महतो बनाम लखीमनी देवी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

परीक्षित महतो पिता-स्व० राखाल महतो,
ग्राम-बामलाडीह, पो०-बारेडीह, थाना-तमाड़,
जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी
पेशा-खेतीबारी।

क्रेता का नाम एवं पता -

लखीमनी देवी पति-स्व० गंगाधर महतो,
ग्राम-एदेलडीह, पो०-बारेडीह, थाना-तमाड़,
जिला-राँची,(झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री विशेश्वर प्रसाद।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-26/07/19 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता लखीमनी देवी पति-स्व० गंगाधर महतो, ग्राम-एदेलडीह, पो०-बारेडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची,(झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
तारु	बुण्डू	27	201	826	08½ डी० चौहद्दी उत्तर-टीपू महतो दक्षिण-जय प्रकाश महतो पूरब-जय प्रकाश महतो एवं दुर्गा चरण महतो पश्चिम-5 फीट प्रस्तावित रास्ता एवं अयोध्य महतो

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक-148 दिनांक-02/03/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम हरिनाथ महतो वो शुदन महतो वो जैनाथ महतो पेशरान खुशीहाल महतो कौम कोइरी है।
- (2) खतियानी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध क्रेता-विक्रेता का है। रजिष्ट्री पट्टा नं०-5205/12.03.10 एवं दाखिल खारिज वाद सं०-23R27/2014-15 के आधार खरीदगी है।
- (3) विक्रेता (परीक्षित महतो) स्वयं पंजी-II रैयत है। तथा अन्य अंचल में लगभग 3.00 एकड़ भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2014-15 तक वसूली गयी है।
- (5) विक्रेता स्वयं जमाबंदी रैयत है। तथा खरीदगी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टांड-III किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-3.00 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को अपने पुत्री की शादी हेतु बिक्री कर रहे है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी जाति के सदस्य है जो अत्यंत पिछड़ी जाति में आते है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला के अन्तर्गत आते है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता परीक्षित महतो पिता-स्व० राखाल महतो, ग्राम-बामलाडीह, पो०-बारेडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची,(झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-खेतीबारी, को क्रेता लखीमनी देवी पति-स्व० गंगाधर महतो, ग्राम-एदेलडीह, पो०-बारेडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची,(झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-30/07/2019 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता परीक्षित महतो पिता-स्व० राखाल महतो, ग्राम-बामलाडीह, पो०-बारेडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची,(झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-खेतीबारी, को क्रेता लखीमनी देवी पति-स्व० गंगाधर महतो, ग्राम-एदेलडीह, पो०-बारेडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची,(झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-गृहिणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
तारु	बुण्डू/27	201	826	08½ डी० चौहद्दी उत्तर-टीपू महतो दक्षिण-जय प्रकाश महतो पूरब-जय प्रकाश महतो एवं दुर्गा चरण महतो पश्चिम-5 फीट प्रस्तावित रास्ता एवं अयोध्य महतो

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।